सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांकः दू0शि0मि0प्रशि0/ 2983 /2011-12 दिनांक 15. 9. 2011

विषयः स्नातक शिक्षामित्रों के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित कराये जाने हेतु बजट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 2209/79-5-2011-282/98 दिनांक 11 जुलाई, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा स्नातक योग्यताधारी शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ब्लाक स्तर पर दो वर्षीय प्रशिक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक रा0शै0/8889-9050/एस0एस0ए0/2011-12 दिनांक 16.7.2011 द्वारा विस्तृत निर्देश प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किये जा चुके है।

शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु सभी विकास संसाधन केन्द्रों / नगर संसाधन केन्द्रों को स्टडी सेन्टर के रुप में विकसित किया गया है तथा शासनादेश के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड / नगर संसाधन केन्द्र पर 70-70 शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण हेतु दो सेमेस्टर पर होने वाले व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक स्टडी सेन्टर हेतु बजट का प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिसमें से लर्निंग मेटेरियल के मुद्रण हेतु धनराशि निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद को उपलब्ध करायी गयी है तथा शेष धनराशि का 50% (एक सेमेस्टर हेतु) आपके जनपद में स्थित स्टडी सेन्टर हेतु बैंक के माध्यम से अन्तरित कर दी गई है जिसका जनपदवार वितरण संलग्न है (संलग्नक-1)। अवमुक्त धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत् है-

धनराशि रुपये में

1	स्टडी सेन्टर के कोआर्डिनेटर (बी0आर0सी0 समन्वयक) का मानदेय @ 1500/- की दर से	9000
2	7 मास्टर ट्रेनर्स (ए0बी0आर0सी0) का मानदेय @ 1000/- की दर से	42000
3	कांटेक्ट प्रोग्राम / वर्कशाप की अवधि में आमंत्रित अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय (1 अतिथि प्रवक्ता अधिकतम 3 बार आमंत्रित किया जा सकता है)	15000
4	7 बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं सह समन्वयकों द्वारा विद्यालयों के अनुश्रवण हेतु @ 500/- प्रतिमाह X 7 X 6 माह	21000
5	आकस्मिक व्यय (एक सेमेस्टर हेतु)	25000
	योग	112000

D:\SM Training Distance Mode\12 Aug2011 All BSA budget release.doc

दूरभाष : 2780996, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upadulko@sify.in

कृपया उपरोक्त मदों हेतु अपने जनपद के प्रत्येक स्टडी सेन्टर (ब्लाक संसाधन / नगर संसाधन केन्द्रों) को ₹ 1,12,000/- (₹ एक लाख बारह हजार मात्र) की दर से धनराशि उनके खाते में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। यदि किसी जनपद में स्टडी सेन्टर की संख्या कम हो तो अधिक धनराशि अवमुक्त होने की स्थिति में उसे जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाये। अगली किश्त अवमुक्त करने पर इसे समायोजित कर लिया जायेगा।

अवमुक्त धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनिवार्यतः अनुपालन किया जाये-

1. धनराशि जिस मद में स्वीकृत की गयी है इसके अतिरिक्त अन्य मद में कदापि व्यय न की जाये।
2. व्यय अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही सम्बन्धित कार्यक्रमों पर किया जाये।
3. समस्त व्यय सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों (Mannual on financial management and procurement) के अनुसार किये जाये।
4. व्यय सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र समयान्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

अवमुक्त की गई धनराशि से स्टडी सेन्टर पर किये जाने वाले व्यय का अनुमोदन बी0आर0सी0 समन्वयक (ए0बी0एस0ए0) द्वारा पत्रावली पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अवश्य प्राप्त किया जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी यह अवश्य देखें कि उपरोक्त बजट से किया गया भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के मैन्युअल आन फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रक्योरमेन्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हो।

स्टडी सेन्टर हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में बी0आर0सी0 समन्वयक एवं सह समन्वयकों के कार्य एवं दायित्व तथा अन्य व्यय के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत् है-

1. स्टडी सेन्टर हेतु ब्लाक समन्वयक के कार्य -

- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु सभी बी0आर0सी0/नगर संसाधन केन्द्रों को स्टडी सेन्टर बनाया गया है। इन स्टडी केन्द्रों पर शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षण कराने का सम्पूर्ण दायित्व बी0आर0सी0 समन्वयक का होगा।
- बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार शिक्षामित्रों का रजिस्ट्रेशन विकासखण्ड पर किया जायेगा।
- काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में सम्बन्धित डायट से निरन्तर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये तथा कान्टेक्ट प्रोग्राम की तिथियों में शिक्षामित्रों को जो भी जानकारी देनी हो उसका शैड्यूल बनाया जाये।
- एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा मुद्रित ट्रेनिंग लर्निंग मैटेरियल प्रशिक्षणरत शिक्षामित्रों को अवश्य उपलब्ध कराया जाये ताकि वे उसका अध्ययन निरन्तर करते रहे।
- सभी निर्धारित कार्यक्रमों यथा समुदायिक कार्य, पाठ्य योजना का निर्माण विकास, क्रियात्मक शिक्षण, प्रोजेक्ट कार्य एवं आन्तरिक मूल्यांकन, सत्रीय कार्य, इन्टर्नशिप एवं अन्य कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिये कार्य

योजना तैयार कर ली जाये जिसे बी0आर0सी0 केन्द्र पर डिसप्ले बोर्ड पर लगाया जाये ताकि शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सभी कार्यक्रमों की जानकारी हो सके।

- काउन्सिलिंग एवं कार्यशाला के समय आने वाले प्रतिभागियों के लिये केन्द्र पर साफ सफाई एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा विद्युत व्यवस्था की जाये। शिक्षामित्रों को ब्लाक पर काउन्सिलिंग आदि के लिए पूर्व से सूचित कर दिया जावे ताकि वे समय से उपस्थित हो सके।
- वर्कशाप एवं काउन्सिलिंग की तिथियों में अपने भोजन की व्यवस्था शिक्षामित्रों को स्वयं करनी होगी। उन्हें पूर्व से इसकी जानकारी दे दी जाये।
- बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से आय-व्यय पंजिका बनायी जायेगी जिसका लेखा-जोखा नियमानुसार किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम के अनुसार सभी व्यवस्थाओं का दायित्व बी0आर0सी0 समन्वयक का होगा। इस हेतु अगस्त 2011 से बी0आर0सी0 समन्वयक को ₹ 1500/- की दर से मानदेय देय होगा।

2. सह समन्वयकों के कार्य एवं दायित्व –

- प्रत्येक ब्लाक स्टडी सेन्टर पर विषयवार 7 सह समन्वयकों की नियुक्ति की जाती है जिसमें से समेकित शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा को छोड़कर शेष 5 विषय विशेष के सह समन्वयकों (विज्ञान शिक्षा, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी तथा सामाजिक अध्ययन) का पदस्थापन किया गया है।
- राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा शिक्षामित्रों के दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षण कराये जाने हेतु मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जनपदों के डायट द्वारा सभी सह समन्वयकों को सन्दर्भदाता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। जिन ब्लाक स्टडी सेन्टर पर 5 सन्दर्भदाताओं का पदस्थापन नहीं हुआ है वहां पर विषय विशेष के योग्य शिक्षकों को सन्दर्भदाता बनाया गया है।
- सह समन्वयकों का यह दायित्व है कि वे एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये साहित्य का भली भांति अध्ययन करे तथा प्रशिक्षण हेतु दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार माहवार कार्य योजना बनाये ताकि जो तिथियां पाठ्यक्रम में निर्धारित की गयी है उन्हीं तिथियों में सभी कार्य सम्पादित कराये जाये।
- प्रशिक्षण के प्रथम दो सेमेस्टर हेतु सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कार्यक्रम का विभाजन करते हुए सह समन्वयकों को पृथक-पृथक दायित्व सौंपा जाये।
- शिक्षामित्रों को जो साहित्य (लर्निंग मेटेरियल) उपलब्ध कराया जाये उसे अध्ययन करने के लिये प्रेरित किया जाये ताकि अगली काउन्सिलिंग मे वे अपनी समस्याओं का समाधान स्टडी सेन्टर पर आकर कर सके।

D:\SA\Learning Distance Mod\01 Aug 2011 All BSA ...

- प्रत्येक सन्दर्भदाता को तथा 10-10 शिक्षामित्रों का कोआर्डिनेटर बनाया जाये। सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विषय बांट दिये जाये ताकि कान्टेक्ट प्रोग्राम के समय उत्तरदायी सह समन्वयक दिये गये विषय के सम्बन्ध में शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान कर सके।
- सभी सन्दर्भदाता डायट पर होने वाली प्रत्येक माह की बैठक में अवश्य प्रतिभाग करें तथा मास्टर ट्रेनर्स से अपनी समस्याओं का समाधान करें।
- विषयवार सह समन्वयक अपने आंवटित शिक्षामित्रों के विद्यालय में जाकर उनका कक्षा शिक्षण, सत्रीयकार्य, क्रियात्मक प्रशिक्षण तथा इन्टर्नशिप आदि समस्त क्रियाकलापों का अवलोकन करेंगे।
- शिक्षामित्रों द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड, फाईल, प्रोजेक्ट, पाठ्य योजना आदि को सम्बन्धित विषय के सन्दर्भदाता द्वारा ब्लाक स्टडी सेन्टर पर सुरक्षित रखा जायेगा तथा आन्तरिक एवं वाह्य मूल्यांकन के समय आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
- उक्त कार्य हेतु ऐसे सभी सह समन्वयकों को जिनकी नियुक्ति सह समन्वयक के पद पर विधिवत की गई है उन्हें अगस्त माह 2011 से ₹ 1000/- की दर से मानदेय अनुमन्य है किन्तु जो शिक्षक सन्दर्भदाताके रूप में चयनित/प्रशिक्षित किये गये है उन्हें ब्लाक स्टडी सेन्टर पर बी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने पर ₹ 100/- प्रतिदिन की दर से मानदेय देय होगा जो सह समन्वयक के लिए निर्धारित मानदेय से अधिक कदापि न हो।

3. अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय

- शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश में कान्टेक्ट प्रोग्राम एवं कार्यशाला में विशेषज्ञों की कमी होने पर अतिथि प्रवक्ता के रूप में विश्वविद्यालय/इण्टरमीडियएट/हाईस्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को निश्चित मानदेय पर एक अतिथि वक्ता को तीन बार आमंत्रित किया जा सकता है।
- इस हेतु प्रथमतः ब्लाक हैडक्वाटर पर बी0एड कालेज के विषय विशेषज्ञों/मान्यता प्राप्त/राजकीय इण्टर कालेज/हाईस्कूल के योग्य एवं कुशल प्रधानाध्यापकों को चिन्हित किया जाये जो पी0एच0डी0/एम0एड/बी0एड हो। उन्हें कान्टेक्ट प्रोग्राम एवं वर्कशाप में सैद्धान्तिक विषयों पर पर वक्तव्य देने के लिये आमंत्रित किया जाये। ऐसे अतिथि प्रवक्ताओं को ₹ 500/- मानदेय दिया जायेगा। अतिथि विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करने एवं कान्टेक्ट प्रोग्राम तथा वर्कशाप में शिक्षण कार्य में संलग्न किये जाने का उत्तरदायित्व बी0आर0सी0 समन्वयक का होगा।

4. अनुश्रवण

- स्टडी सेन्टर के बी0आर0सी0 समन्वयक एवं सह समन्वयकों हेतु शिक्षामित्रों को दिये गये कार्यों, पाठ्य योजना के अनुसार कक्षा शिक्षण आदि के अनुश्रवण हेतु प्रतिमाह ₹ 500/- की दर से धनराशि अनुमन्य की गई है। बी0आर0सी0 समन्वयक का दायित्व होगा कि ब्लाक स्टडी सेन्टर पर नियुक्त विषय विशेषज्ञों एवं स्वयं द्वारा अनुश्रवण हेतु ऐसे विद्यालयों को बांट लिया जाये जहां शिक्षामित्र प्रशिक्षणरत हैं।

- इन विद्यालयों में सह-समन्वयकों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा तथा यह देखा जायेगा कि सेमेस्टरवार विभाजित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षामित्र द्वारा सभी कार्य किये जा रहे है। पाठ्य योजना के साथ कक्षा शिक्षण की समालोचना लिखने का दायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया जायेगा। अतः इन सभी गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य है।
- डायट मेन्टर एवं जिला परियोजना कार्यालय से भी निरन्तर प्रशिक्षण एवं इससे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों का अनुश्रवण किया जायेगा अतः उन्हें निरन्तर सहयोग प्रदान किया जाये।

5. आकस्मिक व्यय

- प्रत्येक स्टडी सेन्टर हेतु प्रथम सेमेस्टर के लिये ₹ 25,000/- की दर से धनराशि अवमुक्त की गई है। शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण सम्बन्धी शासनादेश में भोजन आदि की व्यवस्था शिक्षामित्र को स्वयं करनी है अतः आकस्मिक मद निम्न कार्यों पर व्यय किया जाये।
- प्रथम सेमेस्टर में 2-2 दिन के 3 कान्टेक्ट प्रोग्राम एवं 6 दिन की वर्कशाप आयोजित की जानी होगी जिसमें सभी शिक्षामित्रों को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा। इस हेतु शिक्षामित्रों हेतु पेयजल की व्यवस्था, कक्षा कक्ष में प्रतिभागियों के बैठने की व्यवस्था तथा स्टेशनरी आदि का व्यय इसी मद से व्यय किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के समय फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अभिलेखीकरण (कम्प्यूटराइज्ड) फोटोकापी टी0एल0एम0 हेतु आवश्यक सामग्री, रिकार्ड बनाने हेतु रजिस्टर, विद्युत न होने की स्थिति में जेनरेटर की व्यवस्था आदि व्यय इस मद से वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तो नियमानुसार आकस्मिक व्यय से वहन किया जाये।
- **उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) से तथा राज्य स्तर के अधिकारी समय-समय पर डायट में एवं ब्लाक स्टडी सेन्टर पर जाकर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी लेंगें। अतः डायट पर एवं सभी विकासखण्डों पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का कम्प्यूटराइज्ड विवरण रखा जाये।**

उक्त निर्देश की एक प्रति प्रत्येक स्टडी सेन्टर के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / बी0आर0सी0 समन्वयक को **अवश्य उपलब्ध करायी जाये** तथा राज्य परियोजना स्तर पर होने वाली सहायक वित्त एवं लेखाधिकारियों की बैठक में शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्लाकवार / मदवार आय-व्यय विवरण प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाये।

संलग्नकः उपरोक्त।

भवदीय,

15/09/11

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: दू0शि0मि0प्रशि0 2983 /2011-12 दिनांक 15-9 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उ0प्र0।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

D:\SSA\Training Distance Mode\12 Aug 2011 All BSA budget release.doc
6

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण

(लाख में)

क्र0सं0	जनपद	ब्लाकों की संख्या	कुल प्रावधानित धनराशि रू0 3.175 लाख प्रति ब्लाक	स्टडी सेन्टर के कोऑर्डिनेटर का मानदेय रू0 1500/- 6माह हेतु रू0 (9000/-)	7 मास्टर ट्रेनर का मानदेय रू0 1000/- 6 माह हेतु रू0 (42000/-)	अतिथि वक्ताओं का मानदेय रू0 (15000/-)	रिसोर्स परसन द्वारा अनुश्रवण रू0 500/-की दर से प्रतिमाह (21000/-)	स्टडी सेन्टर हेतु आकस्मिक व्यय रू0 (25000/-)	कुल अवमुक्त धनराशि (1.12000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	16	50.800	1.440	6.720	2.400	3.360	4.000	17.920
2	अलीगढ़	13	41.275	1.170	5.460	1.950	2.730	3.250	14.560
3	इलाहाबाद	21	66.675	1.890	8.820	3.150	4.410	5.250	23.520
4	अम्बेडकर नगर	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
5	औरैया	8	25.400	0.720	3.360	1.200	1.680	2.000	8.960
6	आजमगढ़	23	73.025	2.070	9.660	3.450	4.830	5.750	25.760
7	बदायूँ	19	60.325	1.710	7.980	2.850	3.990	4.750	21.280
8	बागपत	6	19.050	0.540	2.520	0.900	1.260	1.500	6.720
9	बहराइच	15	47.625	1.350	6.300	2.250	3.150	3.750	16.800
10	बलिया	18	57.150	1.620	7.560	2.700	3.780	4.500	20.160
11	बलरामपुर	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
12	बाँदा	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
13	बाराबंकी	16	50.800	1.440	6.720	2.400	3.360	4.000	17.920
14	बरेली	16	50.800	1.440	6.720	2.400	3.360	4.000	17.920
15	बस्ती	15	47.625	1.350	6.300	2.250	3.150	3.750	16.800
16	भदोही	7	22.225	0.630	2.940	1.050	1.470	1.750	7.840
17	बिजनौर	12	38.100	1.080	5.040	1.800	2.520	3.000	13.440
18	बुलन्दशहर	16	50.800	1.440	6.720	2.400	3.360	4.000	17.920
19	चन्दौली	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
20	छत्रपति साहू	16	50.800	1.440	6.720	2.400	3.360	4.000	17.920
21	चित्रकूट	5	15.875	0.540	2.520	0.900	1.260	1.500	6.720
22	देवरिया	17	53.975	1.530	7.140	2.550	3.570	4.250	19.040
23	एटा	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
24	इटावा	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
25	फैजाबाद	12	38.100	1.080	5.040	1.800	2.520	3.000	13.440
26	फर्रुखाबाद	8	25.400	0.720	3.360	1.200	1.680	2.000	8.960
27	फतेहपुर	14	44.450	1.260	5.880	2.100	2.940	3.500	15.680
28	फिरोजाबाद	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
29	गौतमबुद्धनगर	4	12.700	0.360	1.680	0.600	0.840	1.000	4.480
30	गाजियाबाद	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
31	गाजीपुर	17	53.975	1.530	7.140	2.550	3.570	4.250	19.040
32	गोण्डा	17	53.975	1.530	7.140	2.550	3.570	4.250	19.040
33	गोरखपुर	20	63.500	1.800	8.400	3.000	4.200	5.000	22.400
34	हमीरपुर	7	22.225	0.630	2.940	1.050	1.470	1.750	7.840
35	हरदोई	20	63.500	1.800	8.400	3.000	4.200	5.000	22.400
36	हाथरस	8	25.400	0.720	3.360	1.200	1.680	2.000	8.960

क्र०सं०	जनपद	ब्लाकों की संख्या	कुल प्रावधानित धनराशि रू0 3.175 लाख प्रति ब्लाक	स्टडी सेन्टर के कोर्डिनेटर का मानदेय रू0 1500/- 6माह हेतु रू0 (9000/-)	7 मास्टर ट्रेनर का मानदेय रू0 1000/- 6 माह हेतु रू0 (42000/-)	अतिथि वक्ताओं का मानदेय रू0 (15000/-)	रिसोर्स परसन द्वारा अनुश्रवण रू0 500/-की दर से प्रतिमाह (21000/-)	स्टडी सेन्टर हेतु आकस्मिक व्यय रू0 (25000/-)	कुल अवमुक्त धनराशि (1.12000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	जालौन	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
38	जौनपुर	22	69.850	1.980	9.240	3.300	4.620	5.500	24.640
39	झांसी	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
40	जे.पी. नगर	7	22.225	0.630	2.940	1.050	1.470	1.750	7.840
41	कन्नौज	9	28.575	0.810	3.780	1.350	1.890	2.250	10.080
42	कानपुर देहात	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
43	कानपुर नगर	11	34.925	0.990	4.620	1.650	2.310	2.750	12.320
44	काशी राम नगर	7	22.225	0.630	2.940	1.050	1.470	1.750	7.840
45	कौशाम्बी	8	25.400	0.720	3.360	1.200	1.680	2.000	8.960
46	कुशीनगर	14	44.450	1.350	6.300	2.250	3.150	3.750	16.800
47	लखीमपुर खीरी	16	50.800	1.440	6.720	2.400	3.360	4.000	17.920
48	ललितपुर	7	22.225	0.630	2.940	1.050	1.470	1.750	7.840
49	लखनऊ	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
50	महाराजगंज	13	41.275	1.170	5.460	1.950	2.730	3.250	14.560
51	महोबा	5	15.875	0.450	2.100	0.750	1.050	1.250	5.600
52	मैनपुरी	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
53	मथुरा	11	34.925	0.990	4.620	1.650	2.310	2.750	12.320
54	मऊ	10	31.750	0.900	4.200	1.500	2.100	2.500	11.200
55	मेरठ	14	44.450	1.260	5.880	2.100	2.940	3.500	15.680
56	मिर्जापुर	13	41.275	1.170	5.460	1.950	2.730	3.250	14.560
57	मुरादाबाद	14	44.450	1.260	5.880	2.100	2.940	3.500	15.680
58	मुजफ्फरनगर	15	47.625	1.350	6.300	2.250	3.150	3.750	16.800
59	पीलीभीत	8	25.400	0.720	3.360	1.200	1.680	2.000	8.960
60	प्रतापगढ	18	57.15	1.62	7.56	2.70	3.78	4.50	20.16
61	रायबरेली	16	50.80	1.44	6.72	2.40	3.36	4.00	17.92
62	रामपुर	7	22.23	0.63	2.94	1.05	1.47	1.75	7.84
63	सहारनपुर	12	38.10	1.08	5.04	1.80	2.52	3.00	13.44
64	संतकबीरनगर	9	28.58	0.81	3.78	1.35	1.89	2.25	10.08
65	शाहजहाँपुर	16	50.80	1.44	6.72	2.40	3.36	4.00	17.92
66	सिद्धार्थनगर	14	44.45	1.17	5.46	1.95	2.73	3.25	14.56
67	सीतापुर	20	63.50	1.80	8.40	3.00	4.20	5.00	22.40
68	सोनभद्र	8	25.40	0.72	3.36	1.20	1.68	2.00	8.96
69	श्रावस्ती	5	15.88	0.45	2.10	0.75	1.05	1.25	5.60
70	सुल्तानपुर	15	47.63	1.26	5.88	2.10	2.94	3.50	15.68
71	उन्नाव	17	53.98	1.53	7.14	2.55	3.57	4.25	19.04
72	वाराणसी	9	28.58	0.81	3.78	1.35	1.89	2.25	10.08
	योग	880	2794.00	79.20	369.60	132.00	184.80	220.00	985.60

(₹ नौ करोड़ पचासी लाख सात हजार मात्र)